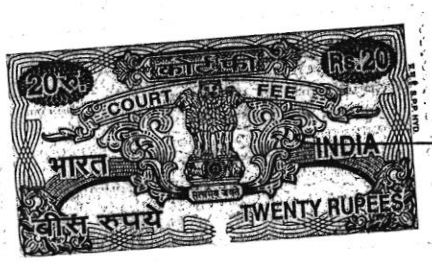

I/अपील/विदिशा/आ० अ०/2017/6133

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–बिदिशा

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन (म.प्र.) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1– आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

2– उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता भोपाल

3– जिला आबकारी अधिकारी जिला बिंदिशा

4– जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन

.... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/4685 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिव्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1– यहकि, अपीलार्थी कम्पनी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला–रायसेन को वर्ष 2012–13 में जिला बिंदिशा प्रदाय क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2011–12/321 दिनांक 09.02.2012 से दी गयी थीं।

2– यहकि, उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता भोपाल के पत्र क्रमांक आब/2015–16 /1693 दिनांक 28.11.2015 से प्राप्त प्रतिवेदन जिला प्रतिवेदन अनुसार जिला बिंदिशा के स्टोरेज मद्यभाण्डागार बिंदिशा, गंजबासौदा पर अवधि मह अप्रेल 2012 मार्च 2013 तक कॉच की बोतलो में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कॉच की बोतलों में नहीं रखा गया है।

3– यहकि, उपरोक्त अनियमितताओं के लिये प्रदाय संविदाकार को कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2015–16/90 दिनांक 08.12.2015 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसका विधिवत् उत्तर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा दिया गया। एवं बताया गया था कि बिदिशा जिले के स्टोरेज मद्यभाण्डागार बिंदिशा सिरोज एवं गंजबासौदा में आसवक के द्वारा निरन्तर आवश्यकता एवं मांग अनुसार प्रदाय दिया गया है जिसके

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/अपील/विदिशा/आ.ब./2017/6133 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.12.2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। उभयपक्षों को अवधि विधान की धारा 5 एवं ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी आबकारी आयुक्त ग्वालियर के आदेश दिनांक 18.09.2017 के विरुद्ध दिनांक 15.12.2017 को पेश हुई है, जो प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य है। विलंब के संबंध में उनके द्वारा यह कहा गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 18.09.2017 की सूचना उन्हें 29.11.2017 को दी गई थी, परंतु अपने उक्त तर्क के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह निगरानी समयावधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	